

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक पं 25(15)आयु / 2017

जयपुर, दिनांक

आदेश

13 APR 2017

इस विभाग के सामसख्यक आदेश क्रमांक पं 15(6)आयु / 2002 जयपुर, दिनांक 14.09.2004 एवं 04.05.2005 के अतिक्रमण में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालय/औषधालयों में बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	चिकित्सालय/औषधालय	अवधि	बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय
1	ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालय/औषधालय ।	1 अप्रैल से 30 सितम्बर (गर्मी)	प्रातः 8.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक)
		1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (सर्दी)	प्रातः 9.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक)
2	शहरी क्षेत्रों के आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालय/औषधालय ।	1 अप्रैल से 30 सितम्बर (गर्मी)	प्रातः 8.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक एवं सायंकाल 5.00 बजे से 7.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में पूर्ववत्)
		1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (सर्दी)	प्रातः 9.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे तक एवं सायंकाल 4.00 बजे से 6.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में पूर्ववत्)
3	ऐसे विभागीय चिकित्सालय/औषधालय जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य विभागों के अधीन संचालित हैं।	संबंधित विभाग के आदेशों के अनुसार ही बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय रहेगा।	
4	दलनेस सेंटर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/औषधालय ।	पूर्ववत् जारी आदेशों के अनुसार ही बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय रहेगा।	

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

महेन्द्र प्रकाश शर्मा
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in
क्रमांक: प.1/प्रति.-1 / विविध/2017/ 1310-11 दिनांक:- 17.04.2017

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. चिकित्साधिकारी राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय को पालनार्थ।
3. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली।

महेन्द्र प्रकाश शर्मा
उपनिदेशक